संख्या-26/2016/809/सैंतीस-2-2016-1(15)/11

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मार्च, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (75 प्रति0के0पो0) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-446/सा0-1/एक्स-84/ईएसवीएचडी-सी.एस./2015-16, दिनांक-31.08.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (के.75/रा.25-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु पुनर्वैध किये गये केन्द्रांश रू0-500.674 लाख में राज्यांश को सम्मिलित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू0-503.00 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अनुमोदित प्रथम चरण के अवशेष 26 पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0-8.50 लाख की दर से रू0-221.00 लाख (संलग्नक-1) एवं द्वितीय चरण के 32 पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0-8.66 लाख की दर से रू0-277.12 लाख (संलग्नक-2) इस प्रकार कुल रू0-498.12 लाख (रूपये चार करोड़ अठठान्नवे लाख बारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. प्रथम चरण के 26 पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 'उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)' तथा द्वितीय चरण के 32 पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 'उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (यू.पी.पी.सी.एल.)' को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण विभाग हेतु आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक तथा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित की जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (के.75/रा.25-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-241/दस-2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(**चन्द्र कान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-26/2016/809(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त आयुक्त (एलएच), पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मँत्रालय, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-26/2016/809/सैंतीस-2-2016-1(15)/11, दिनांक-22 मार्च, 2016 का संलग्नक-1

कार्यदायी संस्था - 'उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)'

क्र0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	पशुचिकित्सालय का नाम	धनराशि (लाख में)
1	रमाबाई नगर	डेरापुर	डेरापुर	8.50
2	रमाबाई नगर	भोगनीपुर	भोगनीपुर	8.50
3	फर्रूखाबाद	सदर	बादपुर-सदर	8.50
4	कन्नौज	सदर	सदर, जी.टी. रोड	8.50
5	कन्नौज	तिरवा	अशोक नगर	8.50
6	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ	8.50
7	इटावा	सदर	सदर	8.50
8	इटावा	भरथना	भरथना	8.50
9	इटावा	चकर नगर	चकर नगर	8.50
10	लखनऊ	सदर	सदर	8.50
11	लखनऊ	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	8.50
12	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज	8.50
13	लखीमपुर	मोहम्मदी	मोहम्मदी	8.50
14	रायबरेली	लालगंज	लालगंज	8.50
15	सीतापुर	मिश्रिख	मिश्रिख	8.50
16	सीतापुर	सिंधौली	सिंधौली	8.50
17	सीतापुर	लहरपुर	लहरपुर	8.50
18	सीतापुर	बिसवां	बिसवां	8.50
19	उन्नाव	सदर	सदर	8.50
20	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	8.50
21	उन्नाव	बीघापुर	बीघापुर	8.50
22	हरदोई	सवोइजपुर	सवोइजपुर	8.50
23	हरदोई	शाहाबाद	शाहाबाद	8.50
24	बाराबंकी	बनीकोदर	बनीकोदर	8.50
25	बाराबंकी	सिरौलीगौसपुर	सिरौलीगौसपुर	8.50
26	बाराबंकी	फतेहपुर	फतेहपुर	8.50
योग-				**221.00**

(रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख मात्र)

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-26/2016/809/सैंतीस-2-2016-1(15)/11, दिनांक-22 मार्च, 2016 का संलग्नक-2

कार्यदायी संस्था - 'उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (यू.पी.पी.सी.एल.)'

क्र0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	पशुचिकित्सालय का नाम	धनराशि (लाख में)
1	गाजियाबाद	सदर	सदर	8.66
2	गाजियाबाद	मोदीनगर	मोदीनगर	8.66
3	हापुड़	हापुड़-सदर	हापुड़-सदर	8.66
4	हापुड़	गढ़	गढ़	8.66
5	हापुड़	ढोलाना	ढोलाना	8.66
6	मु0 नगर	खटौली	खटौली	8.66
7	मु0 नगर	जानसठ	जानसठ	8.66
8	मथुरा	छाता	छाता	8.66
9	मैनपुरी	मैनपुरी	मैनपुरी	8.66
10	मैनपुरी	करहल	करहल	8.66
11	मैनपुरी	भोगांव	भोगांव	8.66
12	अलीगढ़	गभाना	गभाना	8.66
13	अलीगढ़	कोल	कोल	8.66
14	अलीगढ़	खैर	खैर	8.66
15	हाथरस	हाथरस	हाथरस	8.66
16	हाथरस	सादाबाद	सादाबाद	8.66
17	हाथरस	सिकन्दराराव	सिकन्दराराव	8.66
18	बिजनौर	चांदपुर	चांदपुर	8.66
19	बिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	8.66
20	बरेली	सदर	सदर	8.66
21	बरेली	आंवला	आंवला	8.66
22	बरेली	बहेड़ी	बहेड़ी	8.66
23	बरेली	फरीदपुर	फरीदपुर	8.66
24	बरेली	नवाबगंज	नवाबगंज	8.66
25	बरेली	मीरगंज	मीरगंज	8.66
26	शाहजहांपुर	जलालाबाद	जलालाबाद	8.66
27	शाहजहांपुर	पुवायां	पुवायां	8.66
28	बदायूं	बिलसी	बिलसी	8.66
29	बदायूं	सहसवान	सहसवान	8.66
30	कानपुर नगर	घाटमपुर	घाटमपुर	8.66
31	फर्रूखाबाद	कायमगंज	कायमगंज	8.66
32	फर्रूखाबाद	अमृतपुर	अमृतपुर	8.66
योग-				**277.12**

(रूपये दो करोड़ सतहत्तर लाख बारह हजार मात्र)

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in